ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292RNI
REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 288-290**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

पुरुष आत्महत्या : एक विश्लेषण

डॉ0 रुद्र चरण माझी

हिन्दी विभाग, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (केआईएसएस), केआईएसएस कैम्पस, भुवनेश्वर (ओडिसा) भारत

Received-18.12.2024, Revised-24.12.2024, Accepted-29.12.2024 **E-mail : aaryvart2013@gmail.com**

सरांश : ***भारत में पुरुषों की आत्महत्या की दर पिछले कुछ वर्षों में चिंताजनक रूप से बढ़ी है, जो समाज में गहरे बैठे लैंगिक और सामाजिक मुद्दों को उजागर करती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (छब्त्त) के 2021 के आँकड़ों के अनुसार, पुरुषों में आत्महत्या की दर (प्रति 1,00,000 पर 14.2) महिलाओं (6.6) की तुलना में लगभग दोगुनी है। 'द न्यूज मिनट' के अनुसार, 2015 से 2022 के बीच औसतन प्रतिवर्ष 1,01,188 पुरुषों ने आत्महत्या की। यह आँकड़ा न केवल एक त्रासदी है, बल्कि समाज और नीति–निर्माताओं के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। प्रस्तावित शीर्षक "पुरुष आत्महत्याः एक विश्लेषण" इस आलेख के मुख्य विषय को सटीक रूप से दर्शाता है, क्योंकि यह पुरुषों की आत्महत्या के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कारणों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है।***

कुंजीभूत शब्द– आत्महत्या, पुरुष, नारीवाद, शोषण, पितृसत्ता, समानता, अधिकार, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य, लैंगिक।

बीसवीं सदी में स्त्री–विमर्श की अवधारणा का सूत्रपात हुआ, जिसके अंतर्गत जागरूक और दूरदर्शी स्त्रियों तथा पुरुषों ने नारी–शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। अनेक नारीवादी आंदोलनों और क्रांतियों के फलस्वरूप स्त्रियों ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता के अधिकार प्राप्त किए। नारीवादी विचारधारा के प्रसार से समाज में स्त्रियों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। नारी–विमर्श के प्रभाव से साहित्य में नारी–विमर्श की परंपरा सशक्त हुई, जिसके कारण यह विमर्श अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया।

किंतु, नारी–विमर्श की अति के कारण कुछ नकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। समानता के नाम पर स्त्रियों ने पुरुषों की कुछ हानिकारक आदतों, जैसे धूम्रपान और मदिरापान, को भी अपनाया है, जो न केवल स्वास्थ्य और संस्कृति के लिए हानिकारक हैं, बल्कि नारी अस्मिता पर भी प्रश्नचिह्न लगाते हैं। स्त्रियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव उनकी भावी संतानों को भी प्रभावित करता है। नारी अधिकारों के साथ–साथ समानता के नाम पर पुरुषों पर होने वाले अत्याचारों पर भी चर्चा आवश्यक है।

वर्तमान समय में जिस प्रकार नारी–विमर्श की चर्चा प्रबल है, उसी प्रकार पुरुष–विमर्श की आवश्यकता भी उतनी ही प्रासंगिक है। पुरुषों को सामाजिक, राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में होने वाले शोषण से मुक्ति और समानता का अधिकार प्राप्त करना आवश्यक है। नारी–विमर्श की अति से उत्पन्न विचारधारा के कारण एक बड़ा पुरुष वर्ग चिंता, कुंठा, हीनभावना और तनाव का शिकार हो रहा है। सभ्य समाज के शिष्ट पुरुष, नारी–अतिक्रमण से क्षुब्ध होकर आत्महत्या जैसे कठोर कदम तक उठा लेते हैं। उनके व्यक्तित्व में निहित पुरुषत्व उन्हें समाज के समक्ष अपनी व्यथा व्यक्त करने से रोकता है और अपनी पीड़ा सहन करने में असमर्थ होने पर वे टूटकर बिखर जाते हैं। यही कारण है, जो पुरुष–विमर्श की उपयोगिता और सार्थकता को रेखांकित करता है।

पुरुष शब्द की व्युत्पति – 'पुरुष' अत्यंत व्यापक शब्द है। भाषा में इसे लिंग विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है। जिसका तात्पर्य स्त्री के विपरीत लिंग से है। हिन्दी भाषा में पुरुष शब्द का शाब्दिक अर्थ है दृ "जो पुर अर्थात् समाज की सेवा करता है, वही पुरुष है।"

एक अन्य अर्थ के अनुसार – जो 'पुरुषार्थ' को प्राप्त करने की क्षमता रखता है, वह पुरुष है।" पुरुष का मूलशब्द 'पृषन' है। पृवृष = पूरुष (संज्ञा) पुरुष। वेदों में यह शब्द पुरुष, पूरुष दोनों प्रकार से आया है। "वैदिक भाषा में पृवृष में इसकी उत्पति की गई है।"

सामवेद में पुरुष शब्द को ब्रह्म के अर्थ में उल्लिखित किया गया है। कहा गया है कि "इस महान् ब्रह्माण्ड रूप पुर में शयन करने वाला सर्वव्यापक परमात्मा सत्चित् आनन्दस्वरूप सबसे उत्कृष्ट होकर सब पर नियन्त्रण किये हुए अधिष्ठाता के समान होकर वर्तमान है। इसका ज्ञान और क्रिया रूप शासन ही उस ब्रह्माण्ड पर सत्ता रूप में प्रगट होता और विलीन होता है और वही सर्वत्र भोजन करने वाले प्राणियों और भोजन न करने वाले अस्थावर जड़ पदार्थों में भी व्यापक है।"

पुरुष विमर्श की आवश्यकता क्यों है – पुरुष–विमर्श की आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि समाज में लैंगिक समानता की चर्चा में पुरुषों के मुद्दों को प्रायः नजरअंदाज किया जाता है। पुरुषों पर पारंपरिक रूप से 'मजबूत', 'प्रदाता' और 'भावनाहीन' होने की अपेक्षाएँ थोपी जाती हैं। ये अपेक्षाएँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे तनाव, अवसाद और आत्महत्या की प्रवृत्ति को बढ़ाती हैं। पुरुष–विमर्श इस दबाव को संबोधित करने का मंच प्रदान करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, पुरुषों में आत्महत्या की दर महिलाओं की तुलना में अधिक है। भारत में भी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (छब्त्त) के 2021 के आँकड़ों के अनुसार, आत्महत्या करने वालों में पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में लगभग दोगुनी है। पुरुष–विमर्श इस मुद्दे पर खुली चर्चा को प्रोत्साहित करता है। कुछ कानून, जैसे घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून, पुरुषों को पीड़ित के रूप में कम मान्यता देते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायतों के लिए कोई विशिष्ट कानूनी ढांचा नहीं है। पुरुष–विमर्श इन असमानताओं पर ध्यान आकर्षित करता है।

आधुनिक समाज में पुरुषों से आर्थिक प्रदाता होने की अपेक्षा बनी हुई है, जिसके कारण बेरोजगारी या आर्थिक असफलता का सामना करने पर उनकी पहचान और आत्मसम्मान पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पुरुष–विमर्श इस तनाव को कम करने में सहायता करता है।

रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के अनुसार "अमेरिका में पुरुषों में आत्महत्या की दर महिलाओं की तुलना में लगभग चार गुना है। दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो, लगभग 80: आत्महत्याएँ पुरुषों द्वारा की जाती हैं, लेकिन जनसंख्या का केवल आधा हिस्सा ही पुरुषों द्वारा की जाती है। हालाँकि महिलाओं में आत्महत्या के विचार अधिक आते हैं, फिर भी पुरुषों द्वारा आत्महत्या करने की संभावना कहीं अधिक होती है।"

पुरुषों की आत्महत्या के प्रमुख कारण सामाजिक दबाव (प्रदाता की भूमिका), पारिवारिक और आर्थिक तनाव, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ और नशे की लत हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए पुरुष विमर्श, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और सामाजिक–कानूनी सुधार आवश्यक हैं।

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

भारत में पुरुषों की आत्महत्या के दर को देखने से अचंभित होना पड़ता है । 'दो न्यूज मिनट' के अनुसार "पिछले आठ वर्षों (2015 से 2022) में, औसतन हर साल लगभग 1,01,188 पुरुषों ने आत्महत्या की है, जबकि महिलाओं की संख्या 43,314 रही है। पुरुषों में आत्महत्या की दर प्रति 1,00,000 पुरुष जनसंख्या पर 14.2 है, जबकि महिलाओं में यह दर प्रति 1,00,000 महिला जनसंख्या पर 6.6 है।"

हालाँकि, भारत सरकार के आधिकारिक आँकड़े इस दावे का समर्थन नहीं करते कि भारत में पितृसत्ता समाप्त हो गई है और महिलाएँ अब पुरुषों की उत्पीड़क बन गई हैं। चाहे हम यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, सड़क पर यौन उत्पीड़न, दहेज हत्या, या घरेलू हिंसा को देखें, आँकड़े दर्शाते हैं कि देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा अभी भी प्रचलित है। लिंग की परवाह किए बिना, आत्महत्या का प्रमुख कारण 'पारिवारिक समस्याएँ' हैं, जो भारत में होने वाली आत्महत्याओं का 23.06ः हिस्सा हैं। हालाँकि, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (छब्ल्ठ) 'पारिवारिक समस्याओं' की स्पष्ट परिभाषा नहीं देता, जिसके कारण इस शब्द की व्याख्या करना कठिन है। बीमारी आत्महत्या का दूसरा सबसे बड़ा कारण है, जो 23.05ः मौतों के लिए जिम्मेदार है।

विवाह–संबंधी समस्याएँ तीसरा सबसे आम कारण हैं, जो पुरुषों में 3.28ः और महिलाओं में 9.66ः आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। एनसीआरबी द्वारा सूचीबद्ध 'विवाह–संबंधी समस्याओं' के अंतर्गत पाँच उप–श्रेणियाँ हैंः विवाह का न होना, दहेज विवाद, विवाहेतर संबंध, तलाक और अन्य। पिछले आठ वर्षों में विवाह–संबंधी समस्याओं के कारण आत्महत्या करने वाले पुरुषों की कुल संख्या 26,588 और महिलाओं की 33,480 है। इस श्रेणी में, दहेज–संबंधी समस्याएँ महिलाओं (14,250) में आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण हैं, जबकि 'विवाह का न होना' पुरुषों (10,119) में सबसे प्रमुख कारण है।

दो न्यूज मिनट के अनुसार 'शादी न तय होने' की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है लेकिन संभवतः इसका तात्पर्य अविवाहित व्यक्तियों से है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने टीएनएम को बताया कि इस वाक्यांश का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई शादी मुख्यतः झूठे वादों, धोखे या आर्थिक शोषण के साथ–साथ दहेज की माँग, धमकियों या दुर्व्यवहार के कारण नहीं होती या रद्द हो जाती है।"

भारत में वर्ष 2022 में कुल जितने लोगों ने आत्महत्या की उनमें से 72 प्रतिशत लोग पुरुष थे. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (छब्ल्ठ) के इस डेटा ने विशेषज्ञों को पुरुषों में बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर चिंता डाल दिया है और उनका कहना है कि इस पहलू को ज्यादातर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

'मनस्थली' नामक संस्था के संस्थापक–निदेशक और वरिष्ठ मनोचिकित्सक ज्योति कपूर ने बताया कि पुरुषों को अक्सर अपनी कमजोरियों को दबाने के लिए तैयार किया जाता है, जिसके कारण वे चुपचाप इसका शिकार होते चले जाते हैं और कई मामलों में परिणाम आत्महत्या ही होता है।

डॉ. कपूर के मुताबिक, "पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य को समझना और सहयोग करना पहले कभी इतना महत्त्वपूर्ण नहीं रहा. हमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बातचीत को सामान्य बनाना चाहिए, सुलभ चिकित्सा संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए और ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना चाहिए जो घर और कार्यस्थल, दोनों जगह बिना किसी निर्णय के भावनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करें।"

पुरुषों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएँ, जिनमें झूठे आरोप, भावनात्मक दुर्व्यवहार, घरेलू हिंसा और कानूनी उत्पीड़न शामिल हैं, न केवल गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात का कारण बनती हैं, बल्कि पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य की व्यवस्थित उपेक्षा को भी दर्शाती हैं। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि 52.4 प्रतिशत विवाहित पुरुषों ने बिना किसी

भारत सरकार द्वारा पुरुष आत्महत्या के कारण (2015 से 2022) तक की डाटा

आत्महत्या के कारण	आत्महत्या के संख्या			प्रतिशत के अनुसार %		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
बैंक एवं अत्यधिक कर्ज	39,419	3,483	42,703	4.87	1.01	3.7
विवाह सम्बन्धी	26,588	33,480	60,070	3.28	9.66	5.2
परिरक्षा के कारण	10,532	8,279	18,811	1.3	2.39	1.63
बाँझपन /महत्वहीनता	1,335	1,588	2,924	0.16	0.46	0.25
पारिवारिक कारण	2,42,909	1,17,382	3,60,322	30.01	33.87	31.17
बीमारी	1,40,441	64,242	2,04,724	17.34	18.54	17.71
परिजनों की मौत	7,128	3,781	10,912	0.88	1.09	0.94
नशा	60,571	1,411	61,990	7.48	0.41	5.36
सामाजिक प्रतिष्ठा के विलुप्त होने पर	7,739	2,466	10,389	0.96	0.71	0.9
धार्मिक भावना	678	318	997	0.08	0.09	0.09
प्रेम जनित	28,055	19,597	47,757	3.47	5.66	4.13
गरीबी	9,686	1,839	11,525	1.2	0.53	1
बेरोजगारी	20,838	2,433	23,276	2.57	0.7	2.01
धन सम्पदा कलह	11,569	2,539	14,111	1.43	0.73	1.22
व्याभिचार/शारीरिक उत्पीडन	322	500	823	0.04	0.14	0.07
प्रोफेसनल रोजगार के कारण	12,734	2,466	15,202	1.57	0.71	1.31
कारण पता नहीं	87,101	37,366	1,24,480	10.76	10.78	10.77
अन्य	91,545	41,809	1,43,377	11.31	12.07	12.4

कानूनी सहायता या मनोवैज्ञानिक समर्थन के लिंग–आधारित हिंसा का अनुभव किया। अध्ययन के अनुसार, समाज पुरुषों के दर्द को अनदेखा करता रहा है और इस स्थिति में तत्काल सुधार की आवश्यकता है।

(भारत सरकार कि राष्ट्रीय अपराधी व्युरो द्वारा दी गई तथ्य के आधार पर भारत में पुरुषों के आत्महत्या)

सीमलेस माइंड्स क्लिनिक' और पारस हेल्थ की वरिष्ठ सलाहकार क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक डॉ. प्रीति सिंह ने बताया कि "कानूनी सुरक्षा उपायों की कमी के कारण यह समस्या और जटिल हो गई है। उन्होंने उल्लेख किया कि 2013–14 के एक अध्ययन में पाया गया कि उस अवधि के दौरान दर्ज किए गए दुष्कर्म के 53.2 प्रतिशत आरोप झूठे थे। इससे मनोवैज्ञानिकों और कानूनी विशेषज्ञों में झूठे आरोपों का शिकार होने वाले व्यक्तियों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभावों को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस प्रकार की चिंता और तनाव पुरुषों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं।"

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

डॉ. प्रीति सिंह ने पुरुषों के लिए कानूनी सुरक्षा के अभाव को एक जटिल समस्या के रूप में चिह्नित किया है। भारत में वर्तमान कानूनी ढांचा, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जैसे मामलों में, मुख्य रूप से महिलाओं को पीड़ित के रूप में मान्यता देता है। उदाहरण के लिए, भारतीय दंड संहिता (प्च्ब्) की धारा 375 और घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, पुरुषों को पीड़ित के रूप में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं करते। इस कमी के कारण पुरुषों को झूठे आरोपों या उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी सहायता प्राप्त करना मुश्किल होता है, जिससे उनकी स्थिति और असहाय हो जाती है। यह सामाजिक और कानूनी असंतुलन पुरुषों में निराशा और असुरक्षा को बढ़ाता है।

भारत में 2015 से 2022 के बीच पुरुषों की आत्महत्या के कारणों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि पारिवारिक समस्याएँ सबसे प्रमुख कारण हैं, जो कुल पुरुष आत्महत्याओं का लगभग 30ः हिस्सा हैं। यह दर्शाता है कि पारिवारिक तनाव, रिश्तों में संघर्ष और घरेलू जिम्मेदारियाँ पुरुषों पर गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव डालती हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ दूसरा प्रमुख कारण हैं, जो पुरुषों में आत्महत्या के 17.34ः मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। पुरुषों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सामाजिक कलंक और सहायता न माँगने की प्रवृत्ति इसकी गंभीरता को और बढ़ाती है। इस अवधि में आत्महत्या करने वाले 8,09,506 पुरुषों में से लगभग 10ः अर्थात् 81,402 किसान और खेतिहर मजदूर हैं। यद्यपि इन आत्महत्याओं के मुख्य कारण सामाजिक–आर्थिक कारक और फसल की विफलताएँ हैं, लेकिन अन्य कारणों से मरने वाले किसानों के लिए कोई उप–श्रेणियाँ निर्धारित नहीं हैं।

पुरुषों के खिलाफ अत्याचार की रोकथाम और लिंग–आधारित कानूनों (जैसे दहेज या घरेलू हिंसा) के दुरुपयोग को रोकने से पुरुषों को आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने से बचाया जा सकता है। पुरुषों के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों में सामाजिक अस्वीकृति और कानूनी समर्थन की कमी इस क्षेत्र में एक विशेष कमी के रूप में देखी जा सकती है। पुरुषों पर होने वाले शोषण का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

दैनिक भास्कर द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार "जालंधर में 4 लड़कियों ने 1 पुरुष को कार में 'गैंगरेप' किया। पुरुष ने बताया कि लड़कियों ने उसे एड्रेस पूछने के बहाने रोका। उसके चेहरे पर स्प्रे मारकर उसे गाड़ी में डाल लिया। जबरदस्ती शराब पिलाई और नशे की हालत में लड़कियों ने उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी लड़कियां 20 से 30 साल की उम्र की हैं। पीड़ित एक चमड़ा फैक्ट्री में मजदूर है। वह शादीशुदा और बच्चों का पिता है। उसने अपनी पत्नी के कहने पर पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई, मगर यह खबर सोशल मीडिया पर आने के बाद वायरल हो गई।"

यह सिर्फ एक घटना नहीं है । दैनिक भास्कर पुरुषों पर हो रहे अत्याचार को दिखाते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट में कहा है " मुंबई, 2017ः स्कूल में पढ़ने वाले 16 साल के किशोर के साथ 15 लड़कियों ने पहले गैंगरेप किया, फिर ब्लैकमेल करने लगे। पवई, 2017ः मुंबई के पवई में 13 साल के रेप पीड़ित लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। मुजफ्फरनगर, 2014ः उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 3 कैदियों पर साथ रह रहे कैदी के साथ जबरन यौन संबंध बनाने का मामला दर्ज किया। शामली, 2014ः एक महिला टीचर ने अपने 12 साल के छात्र के साथ रेप किया।"

भारत में पुरुषों पर महिलाओं द्वारा बलात्कार (रेप) के विषय को कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण से समझना जटिल है। भारतीय दंड संहिता (प्च्ब्) की धारा 375 के तहत बलात्कार को परिभाषित किया गया है, जो केवल पुरुष द्वारा महिला के खिलाफ किए गए यौन अपराध को ही अपराध मानता है। इस कानून में पुरुषों को बलात्कार का पीड़ित मानने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जिसके कारण पुरुषों के खिलाफ यौन हिंसा के मामले प्रायः अपंजीकृत रहते हैं या गंभीरता से नहीं लिए जाते।

2013 में आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश लाया गया, जिसमें बलात्कार और यौन उत्पीड़न से संबंधित अपराधों को लिंग–तटस्थ (जेंडर न्यूट्रल) बनाया गया। इस संशोधन में 'बलात्कार' शब्द को हटाकर 'यौन हमला' (सेक्शुअल असॉल्ट) शब्द का उपयोग किया गया। हालांकि, नारीवादी समूहों के कड़े विरोध के बाद सरकार ने कानून में 'बलात्कार' शब्द को पुनः शामिल किया और पहले की स्थिति को बरकरार रखा, जिसमें यह निर्धारित है कि केवल पुरुष ही महिला का बलात्कारी हो सकता है।

भारतीय न्याय व्यवस्था को यह मानना है कि कानून की नजर में पुरुष ही हो सकता है रेपिस्ट, महिला नहीं हो सकता ।इस बात पर अपनी पक्ष रखते हुए एडवोकेट शिवाजी शुक्ला कहते हैं कि "इंडियन पीनल कोड की धारा 375 में कहा गया है कि बलात्कार केवल 'पुरुष' कर सकता है। महिला बलात्कार नहीं कर सकती। मगर, आईपीसी की धारा 376 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति बलात्कार का अपराध करता है, तो उसे कम से कम 7 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा दी जाएगी और साथ ही उसे जुर्माना भी देना होगा। यहां महिला या पुरुष के बजाय व्यक्ति कहा गया है। ऐसे में पीड़ित पुरुष को इस धारा में थोड़ी सी राहत मिलती है। शिवाजी शुक्ला कहते हैं कि लेकिन जालंधर जैसे मामलों में इस धारा में केस दर्ज करने से पुलिस बचती है।"

इन सभी बातों को विचार करने पर यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि पुरुषों को विभिन्न रूपों में शोषित किया जा रहा है, जिससे पारिवारिक और आर्थिक दबाव, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएँ और सामाजिक अपेक्षाओं से उत्पन्न तनाव है। पुरुषों पर 'प्रदाता' और 'मजबूत' होने का सामाजिक दबाव, मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों की कमी उन्हें कहीं की नहीं छोडती । पुरुष विमर्श के माध्यम से इन मुद्दों पर खुली चर्चा, मानसिक स्वास्थ्य सहायता को बढ़ावा देना और सामाजिक–कानूनी समर्थन प्रदान करना इन समस्याओं को कम करने में महत्त्वपूर्ण हो सकता है।

पुरुषों की बढ़ती आत्महत्या दर भारत में एक गंभीर सामाजिक संकट है, जो लैंगिक अपेक्षाओं, सामाजिक कलंक और कानूनी असमानताओं की गहरी जड़ों को उजागर करता है। पारिवारिक तनाव, मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा, आर्थिक दबाव और लिंग–आधारित कानूनों के दुरुपयोग जैसे कारक पुरुषों को निराशा और असहायता की ओर धकेलते हैं। यह त्रासदी केवल आँकड़ों तक सीमित नहीं हैय यह उन अनगिनत जीवन की कहानी है, जो समाज की संवेदनहीनता और समर्थन की कमी के कारण खामोशी में टूट जाते हैं। पुरुष–विमर्श को बढ़ावा देना, लिंग–तटस्थ कानूनों को लागू करना और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना समय की मांग है। समाज को पुरुषों के दर्द को सुनने, उनकी भावनाओं को स्वीकार करने और उन्हें एक सुरक्षित माहौल प्रदान करने की आवश्यकता है। केवल सहानुभूति, जागरूकता और नीतिगत सुधारों के बल पर ही हम इस गंभीर चुनौती का सामना कर सकते हैं और एक समावेशी समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, जहाँ हर व्यक्ति की पीड़ा को सम्मान और समाधान मिले।

*****